राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्री कृष्णपाल सिंह चौहान (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 101/2018 वादपत्र

उनवान

1. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र बद्रीलाल शर्मा (तुगणायत) निवासी माण्डल हॉल निवासी 224 ए, अलोन सिटी, नियर आर.डी.कॉलेज, आगर रोड़, उज्जैन (म0प्र0)
2. श्रीमती चन्द्र मुखी पुत्री बद्रीलाल पत्नी मुरलीधर ओझा (ब्राहम्ण) निवासी शाहपुरा, भूर जी की सड़क, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ास
3. श्रीमती नीलकमल पुत्री बद्रीलाल पत्नी पुरूषोत्तम शुक्ला (ब्राहम्ण) निवासी माण्डल हॉल निवासी 25, अम्बिकापुरी , एयरपोर्ट रोड़, बीजासन रोड़, इन्दौर (म0प्र0)
4. श्री विपिन कुमार पुत्र रमेश चन्द्र तुगणायत (ब्राहम्ण) निवासी माण्डल हाल बड़नगर एम.पी. चौक, जैन मंदिर के पास, बड़नगर तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (म0प्र0)
5. श्री संजय शर्मा पुत्र रमेश चन्द्र (तुगणायत) निवासी माण्डल हाल निवासी माताजी की गली, शहीद चौक के पास, सांगानेरी गेट , भीलवाड़ा

— वादीगण

बनाम

1. श्री गोपाललाल पुत्र बद्रीलाल शर्मा (तुगणायत) निवासी माण्डल हाल बड़नगर, जैन मंदिर के पास, बड़नगर तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (म0प्र0)
2. श्रीमती उषाबाई पत्नी बद्रीलाल शर्मा (तुगणायत) निवासी माण्डल हाल बड़नगर, जैन मंदिर के पास, बड़नगर तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (म0प्र0)
3. श्री सुरेश चन्द्र पुत्र माणक लाल शर्मा (ब्राहम्ण) निवासी माण्डल हाल निवासी 55 बी दत्त नगर, अम्बावली माता मंदिर के पास , राजन्द्र नगर, इन्दौर (म0प्र0)
4. श्री श्यामलाल पुत्र माणक लाल तुगणायत (शर्मा) निवासी माण्डल हाल निवासी बड़नगर, शिव मंदिर के पास, बड़नगर तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (म0प्र0)
5. विष्णुकांता पुत्री माणकलाल पत्नी रामप्रसाद ओझा, निवासी माण्डल हाल निवासी ए–102 शास्त्रीनगर, भोपाल (म0प्र0)
6. श्री अशोक कुमार पुत्र रमेशचन्द्र शर्मा (तुगणायत) निवासी माण्डल हाल निवासी बड़नगर, जैन मंदिर के पास, बड़नगर तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (म0प्र0)
7. श्री लालचंद पुत्र मोहनलाल शर्मा (तुगणायत) निवासी माण्डल हाल निवासी बड़नगर, जैन मंदिर के पास, बड़नगर तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (म0प्र0)
8. **श्रीमती हंसा बाई पुत्री मोहनलाल पत्नी जुगलकिशोर ओझा (ब्राहम्ण) निवासी माण्डल हाल निवासी 201 देवेन्द्र अपार्टमेन्ट 154 सेक्टर एम. खाती वाला टेंक इंदौर (म0प्र0)**
9. **चन्द्रशेखर पुत्र कन्हैयालाल शर्मा (तुगणायत) निवासी माण्डल हाल निवासी गॉधी चौक कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ**
10. **श्रीमती कमलेश बाई पुत्री कन्हैया लाल शर्मा (तुगणायत) निवासी माण्डल हाल निवासी दिलीपनगर रतलाम (म0प्र0)**
11. **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा**

— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

<u>वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरस्ती एवं घोषणा</u>

उपस्थित :

1. श्री श्यामलाल वेद

अधिवक्ता वादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक 14.06.2019

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा माण्डल पटवार हलका माण्डल तहसील माण्डल के राजस्व अभिलेख जमाबंदी 2070 से 2073 के खाता संख्या 1553 में दर्ज आराजी नं0 5802 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्व0 रामसुख पिता नोलराम तुगणायत (ब्राहम्ण) के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है जिनकी मृत्यु दिनांक 06.05.1966 को मध्यप्रदेश के बड़नगर में रहते हुए हो गई। स्व0 रामसुख जी के वारिसान भी मध्यप्रदेश में भिन्न – भिन्न स्थानों पर रहने लग गये। इस कारण रामसुख जी की मृत्यु के बाद उनकी विरासत से लंबे समय से खाता रद्दोबदल नहीं हो पाया राजस्व एजेन्सी द्वारा उनकी विरासत से नामान्तकरण संख्या 4149 के जरिये दिनांक 05.09. 2013 से अपने स्तर पर मालूमात करके स्वीकृत किया गया। जिसमें सही जानकारी नहीं मिलने से रामसुख जी के पुत्र बद्रीलाल के वारिसान तन्नूलाल, गुडीबाई, नानीवाई अंकन कर दिया जबकि तन्नूलाल के स्थान पर महेन्द्र कुमार, गुड़ीबाई के स्थान पर चन्द्रमुखी एवं नानीबाई के स्थान पर नीलकमल बद्रीलाल जी के सही वारिसान होने से अंकित होना चाहिए । इसी तरह रामसुख जी के पुत्र रमेश चन्द्र जी के वारिसान में भूरालाल व छोटूलाल अंकन कर दिया गया। जबकि भूरा लाल के स्थान पर विपिन कुमार एवं छोटूलाल के स्थान पर संजय अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकार राजस्व अभिलेख में इंतकाल की फर्द में गलत नामांकन हो जाने से उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में गलत हुए इन्द्राज को दुरस्त कर शुद्व लेखन किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। इस त्रुटिपूर्ण लेखन की वादीगण को दिनांक 15.07.2018 को माण्डल में पटवारी माण्डल से सम्पर्क करने पर हुई । तत्पश्चात राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त कर यह इन्द्राज दुरस्ती हेतु वाद- पत्र प्रस्तुत करना पड़ा । इस वाद पत्र के जरिये मौजा माण्डल तहसील माण्डल की राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 1553 में दर्ज आराजी संख्या 5802 रकवा 1 बीघा 1 बिस्वा में बद्री लाल के वारिसान तन्नूलाल , गुडीबाई , नानीबाई को हटाकर उसके स्थान पर कमशः महेन्द्र कुमार, चन्द्रमुखी,नीलकमल अंकित करन एवं रमेश चन्द्र के वारिसान भूरालाल, छोटूलाल को हटाकर उसके स्थान पर विपिन कुमार , संजय अंकित कर त्रुटिपूर्ण लेखन को सुधार कर शुद्व लेखन की घोषनात्मक डिकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व पारित की जाने के अनुतोष की मांग की।

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुतीकरण के पश्चात वाद जॉच दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को बाहर राज्य में निवास करने से रजिस्टर्ड डाक द्वारा तामिल के लिए सम्मन वादीगण के पोस्टेज खर्च पर जारी किए गए। संबंधित प्रतिवादीगण की सम्मन तामिल की पावतियॉ लौटकर नहीं आने से वादीगण की ओर से इण्डियन पोस्टल डिपार्टमेन्ट की रसीदों के आधार से नेट से सर्च करने की संवंधित प्रतिवादीगण को डाक डिलीवर्ड हो जाने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करने संबंधित दिनांक 12.04.2019 को आदेश पारित किए गए। पत्रावली एक पक्षीय साक्ष्य हेतु दिनांक 30.05.2019 को नियत करने पर वादीगण की ओर से वादी संजय शर्मा एवं प्रतिवादी चन्द्रशेखर के साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्शित कर प्रदर्श संख्या 1 से प्रदर्श संख्या 7 डाले गये। तत्पश्चात वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य और कोई प्रस्तुत नहीं करने से उनके साक्ष्य बंद करके पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के समर्थन में बहस करते हुए कथन किया कि खातेदार रामसुख पिता नोलराम तुगणायत (ब्राहम्ण) निवासी माण्डल तहसील माण्डल काफी लम्बे समय पूर्व शकूनत छोड़ कर मध्यप्रदेश राज्य के बड़नगर में जाकर रहने लग गये। वहॉ रहते हुए रामसुख जी की मृत्यु दिनांक 06.05.1966 को हो गई इसके संवंध में नामान्करण संख्या 4149 की पुश्त पर अंकित है। जो प्रदर्श 07 है। इस नामान्तकरण की फर्द में वद्री लाल के वारिसान में तन्नूलाल, गुडीबाई, नानीबाई गलत अंकित हो गई तथा रमेश चन्द्र के

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

वारिसान में भूरा लाल , छोटूलाल गलत अंकित हो गये। वादी संजय पी.डब्ल्यू. 1 के मुख्य परीक्षा के बयान के अनुसार गलत अंकन में हटा कर बद्री लाल के वारिसान तन्नूलाल के स्थान पर महेन्द्र कुमार , गुडीबाई के स्थान पर चन्द्रमुखी एवं नानीबाई के स्थान पर नीलकमल अंकित किया जावें। इसी तरह रमेश चन्द के वारिसान में भूरालाल के स्थान विपिन कुमार, छोटूलाल के स्थान पर संजय कुमार अंकित किया जावें। हम वादीगण एवं प्रतिवादी गण स्व0 रामसुख जी के वारिसान है यही कथन चन्द्रशेखर पी.डब्ल्यू. 2 ने भी अपने शपथ पूर्वक कथन में दोहराते हुए महेन्द्र कुमार ,चन्द्रमुख ी, नीलकमल , विपिन कुमार एवं संजय के आधारकार्ड की फोटो प्रतियों प्रदर्शित करते हुये सही नामांकन करने बाबत राजस्व रेकार्ड में हुई त्रुटिपूर्ण लेखन को सुधार कर शुद्ध लेखन करने की घोषणा का अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया ।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में आधारकार्ड , प्रदर्श संख्या 2 से 6 , राजस्व रेकार्ड जमाबंदी प्रदर्श संख्या 1 एवं इंतकाल प्रदर्श संख्या 7 की फर्द का अवलोकन किया। यह भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट हो रहा है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण मध्यप्रदेश में भिन्न–भिन्न स्थानों पर यह रहे है। उनके पूर्वज रामसुख जी की मृत्यु दिनांक 06.05.1966 को हो जाना नामांकरण की फर्द प्रदर्श संख्या 07 की पुश्त पर अंकित होने से जाहिर है कि राजस्थान राज्य से दुरस्थ मध्यप्रदेश के भिन्न–भिन्न इलाकों में रहने से काफी लंबे समय पश्चात 05.09.2013 को विरासत से खाता रद्दोबदल होना भी जाहिर है। लम्बे समय से इंतकाल खोले जाने से बचपन के नामों की नामान्तकण की फर्द में अंकित कर देने से इस अशुद्ध लेखन को सुधारा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है जो उचित भी है। एतदर्थ न्यायालय का वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करना पाया जाता है। अतएवः

::आदेश::

अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर घोषणात्मक डिक्री वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आश्य की जारी की जाती है कि मौजा माण्डल पटवार हलका माण्डल तहसील माण्डल के राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 1553 में दर्ज आराजी नंबर 5802 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा के कैफियत खाना में नामान्तकरण संख्या 4149 निर्णय दिनांक 05.09.2013 विरासत से " तन्नूलाल, गुडीबाई, नानीबाई पिता बद्रीलाल" को हटाकर उसके स्थान पर " महेन्द्र कुमार , चन्द्रमुखी , नीलकमल पिता बद्रीलाल किए जाने एवं " भूरालाल, छोटूलाल पिता रमेशचन्द्र " को हटाकर उनके स्थान पर "विपिन कुमार, संजय कुमार पिता रमेशचन्द्र" अंकित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार त्रुटिपूर्ण लेखन को सुधार कर शुद्व लेखन की घोषणात्मक डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्चा अपना–अपना वहन करें।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

यह निर्णय आज दिनांक 14.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी श्री कृष्णपाल सिंह चौहान (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 101/2018 वादपत्र

वाद पत्र बाबत् इन्द्राज दुरस्ती एवं घोषणा

उनवान

1. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र बद्रीलाल शर्मा (तुगणायत) निवासी माण्डल हॉल निवासी 224 ए, अलोन सिटी, नियर आर.डी.कॉलेज, आगर रोड़, उज्जैन (म0प्र0)
2. श्रीमती चन्द्र मुखी पुत्री बद्रीलाल पत्नी मुरलीधर ओझा (ब्राहम्ण) निवासी शाहपुरा, भूर जी की सड़क, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ास
3. श्रीमती नीलकमल पुत्री बद्रीलाल पत्नी पुरूषोत्तम शुक्ला (ब्राहम्ण) निवासी माण्डल हॉल निवासी 25, अम्बिकापुरी , एयरपोर्ट रोड़, बीजासन रोड़, इन्दौर (म0प्र0)
4. श्री विपिन कुमार पुत्र रमेश चन्द्र तुगणायत (ब्राहम्ण) निवासी माण्डल हाल बड़नगर एम.पी. चौक, जैन मंदिर के पास, बड़नगर तहसील वड़नगर जिला उज्जैन (म0प्र0)
5. श्री संजय शर्मा पुत्र रमेश चन्द्र (तुगणायत) निवासी माण्डल हाल निवासी माताजी की गली, शहीद चौक के पास, सांगानेरी गेट , भीलवाड़ा — वादीगण

बनाम

1. श्री गोपाललाल पुत्र बद्रीलाल शर्मा (तुगणायत) निवासी माण्डल हाल वड़नगर, जैन मंदिर के पास, बड़नगर तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (म0प्र0)
2. श्रीमती उषाबाई पत्नी बद्रीलाल शर्मा (तुगणायत) निवासी माण्डल हाल बड़नगर, जैन मंदिर के पास, बड़नगर तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (म0प्र0)
3. श्री सुरेश चन्द्र पुत्र माणक लाल शर्मा (ब्राहम्ण) निवासी माण्डल हाल निवासी 55 बी दत्त नगर, अम्बावली माता मंदिर के पास , राजन्द्र नगर, इन्दौर (म0प्र0)
4. श्री श्यामलाल पुत्र माणक लाल तुगणायत (शर्मा) निवासी माण्डल हाल निवासी बड़नगर, शिव मंदिर के पास, बड़नगर तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (म0प्र0)
5. विष्णुकांता पुत्री माणकलाल पत्नी रामप्रसाद ओझा, निवासी माण्डल हाल निवासी ए–102 शास्त्रीनगर, भोपाल (म0प्र0)
6. श्री अशोक कुमार पुत्र रमेशचन्द्र शर्मा (तुगणायत) निवासी माण्डल हाल निवासी बड़नगर, जैन मंदिर के पास, बड़नगर तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (म0प्र0)
7. श्री लालचंद पुत्र मोहनलाल शर्मा (तुगणायत) निवासी माण्डल हाल निवासी बड़नगर, जैन मंदिर के पास, बड़नगर तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (म0प्र0)
8. श्रीमती हंसा बाई पुत्री मोहनलाल पत्नी जुगलकिशोर ओझा (ब्राहम्ण) निवासी माण्डल हाल निवासी 201 देवेन्द्र अपार्टमेन्ट 154 सेक्टर एम. खाती वाला टेंक इंदौर (म0प्र0)
9. चन्द्रशेखर पुत्र कन्हैयालाल शर्मा (तुगणायत) निवासी माण्डल हाल निवासी गॉधी चौक कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

10. श्रीमती कमलेश बाई पुत्री कन्हैया लाल शर्मा (तुगणायत) निवासी माण्डल हाल निवासी दिलीपनगर रतलाम (म0प्र0)

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से श्री श्याम लाल वेद, एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 14.06.2019 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा माण्डल पटवार हलका माण्डल तहसील माण्डल के राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 1553 में दर्ज आराजी नंबर 5802 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा के कैफियत खाना में नामान्तकरण संख्या 4149 निर्णय दिनांक 05.09.2013 विरासत से '' तन्नूलाल, गुडीबाई, नानीबाई पिता बद्रीलाल'' को हटाकर उसके स्थान पर '' महेन्द्र कुमार , चन्द्रमुखी , नीलकमल पिता बद्रीलाल किए जाने एवं '' भूरालाल, छोटूलाल पिता रमेशचन्द्र '' को हटाकर उनके स्थान पर ''विपिन कुमार, संजय कुमार पिता रमेशचन्द्र'' अंकित करे। फरीकेन खर्चा अपना—अपना वहन करें।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा
माण्डल जिला भीलवाड़ा

यह निर्णय आज दिनांक 14.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा